



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1400) पटना, मंगलवार, 19 अगस्त 2025

सं0 सं0-5(स0)/बियाडा (भू0 अधि0 सहरसा)-33/2025-3801
उद्योग विभाग

संकल्प

14 अगस्त 2025

विषय:- सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल- कहरा मौजा-वनगाँव, थाना नं0- 137, मौजा-देवनागोपाल, थाना नं0-140, 141 एवं 142 तथा मौजा- बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) थाना नं0- 143 में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.07.2024 के बैठक में मद संख्या-42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि अधिग्रहित की जायेगी, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

2. उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में जिलाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-1488 दिनांक-30.05.2025 एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक-2647/LD दिनांक-16.07.2025 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार सहरसा जिले के अंचल- कहरा मौजा-वनगाँव, थाना नं0-137, मौजा-देवनागोपाल, थाना नं0-140, 141 एवं 142 तथा मौजा- बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) थाना नं0-143 में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त भूमि के अधिग्रहण से औद्योगिक क्षेत्र के विकास होगा जिससे विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों का पलायन भी रुकेगा तथा नये शहरी क्षेत्रों का भी विस्तार होगा।

4. भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की निकासी माँग संख्या-23, मुख्यशीर्ष-4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-050-भूमि, उप शीर्ष-0101-औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या-23-4885020500101 विषय शीर्ष-0101-53-02 भू-अर्जन मद से आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध के माध्यम से प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

5. उपर्युक्त कंडिका 2 पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा के उपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
6. उक्त पर दिनांक-13.08.2025 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रेरणा सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1400-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>